महाविद्यालय विकास परिषद की पाँचवी बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 21 मई 2016, सुबह 11:00 बजे, कुलपति का कार्यालय

महाविद्यालय विकास परिषद की पाँचवीं बैठक दिनांक 21 मई 2016 को सुबह 11:00 बजे कुलपति के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. प्रो. टी.बी.सुब्बा कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. प्रकाश तामांग डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
3. डॉ. एस. मनिवन्णन डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
4. डॉ. लिली एली प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
5. डॉ. सुजाता बस्नेत प्राचार्य (प्रभारी), रिनॉक सरकारी महाविद्यालय	-	सदस्य
6. डॉ. रबीन्द्र छेत्री प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग	-	सदस्य
7. डॉ. पी.के. मिश्रा प्राचार्य, डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
8. डॉ. संध्या राई प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची	-	सदस्य
9. श्री टी.के.कौल कुलसचिव	_	सचिव

प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे छुट्टी पर थे। डॉ. देवाशीष चौधरी, परीक्षा नियंत्रक ने विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लिया। डॉ. सुरेश गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) परिषद की सहायता के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने बैठक में महविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। 21 मई 2016 को आतंकवाद विरोधी दिवस होने के नाते, अध्यक्ष के साथ-साथ सीडीसी के सदस्यों ने शांति, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने और बढ़ावा देने विघटन के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लिया। इसके बाद एजेंडा में उल्लेखित विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड – 1

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी 5.1.1: दिनांक 228 सितंबर 2015 को आयोजित महविद्यालय विकास परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक कार्यवृत्त को 7 अक्टूबर 2015 को सभी सदस्यों को प्रसारित किए गए थे। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी, इसलिए 28 सितंबर 2015 को आयोजित महविद्यालय विकास परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

सीडीसी 5.1.2: दिनांक 28 सितंबर 2015 को आयोजित महविद्यालय विकास परिसद की 4थीं बैठक के कार्यवृत्त पर की कार्रवाई की रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सचिव को महाविद्यालय विकास परिषद की 4थीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद सचिव द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार बाहरी परीक्षकों को मानदेय के भुगतान पर टिप्पणी करते हुए यह सूचित किया गया कि छः महाविद्यालयों ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शेष छः महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उस पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक भेजने का निर्णय लिया गया।

खंड – 2

सूचनार्थ विषय

शून्य

खंड – 3

अनुसमर्थन विषय

शून्य

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी 5.4.1: संबद्धता के नवीकरण के लिए 8 अस्थायी सम्बद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय की तीन सदस्यीय टीम, जिसमें कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) शामिल हैं, नेसिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी 12 कॉलेजों में दिनांक 8 फरवरी से 24 फरवरी 2016 तक दौरा किया था। यात्रा के दौरान टीम ने उपलब्ध बुनियादी संरचना की सुविधाओं का निरीक्षण किया। छात्रों, प्रधानाचार्य और शिक्षण कर्मचारियों के साथ अलग से बातचीत की।

चूंकि विश्वविद्यालय की टीम द्वारा पहले ही कॉलेजों का दौरा किया गया था, इसलिए शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए संबद्धता के नवीनीकरण के लिए इन महाविद्यालयों में निरीक्षण समिति नहीं भेजने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया था।

परिषद ने विश्वविद्यालय के निर्णय की पुष्टि की और 8 अस्थायी रूप से संबद्ध कॉलेजों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद शैक्षणिक परिषद की मंजूरी के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए किए गए अवलोकन के शर्त पर वर्ष 2016-17 के लिए इन महाविद्यालयों की अस्थायी संबद्धता के नवीनीकरण के लिए सिफ़ारिश की।

सीडीसी 5.4.2: 4 स्थायी सम्बद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय की तीन सदस्यीय टीम, जिसमें कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) शामिल हैं, ने सिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी 12 कॉलेजों में 8 फरवरी से 24 फरवरी 2016 तक दौरा किया था। यात्रा के दौरान टीम ने उपलब्ध बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं का निरीक्षण किया। छात्रों, प्रधानाचार्य और शिक्षण स्टाफ के साथ अलग से बातचीत की।

चूंकि विश्वविद्यालय की टीम द्वारा पहले ही महाविद्यालयों का दौरा किया गया था, इसलिए एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया था कि चार स्थायी सम्बद्ध महाविद्यालयों में से कम से कम तीन महाविद्यालयों में निरीक्षण समिति को नहीं भेजा जाएँ, जिनका निरीक्षण 2016 में होने वाला था।

परिषद ने विश्वविद्यालय के निर्णय की पुष्टि की और 4 स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश की।

सीडीसी 5.4.3: हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार, रंगपो में पीएचडी पाठ्यक्रम

दिनांक 26.10.2015 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप कुलपति ने हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने या इसके लिए अपनी सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया। सूक्ष्म जीव विज्ञान

विभाग के विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति ने दिनांक 22 अप्रैल 2016 को महविद्यालय का दौरा किया। समिति की रिपोर्ट को परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

परिषद ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की और खेद व्यक्त किया कि यूज़ीसी (एमफिल/ पीएचडी डिग्री के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया पुरस्कार) विनियम की धारा 4 के अंतर्गत न्यूनतम प्रावधान, जिसमें यह कहा गया है कि ***"सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के कॉलेज/संस्थान एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए पात्र होंगे"*** के कारण फार्मेसी में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पाया गया कि हिमालयन फार्मेसी संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान नहीं था और अत: हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी जा सकती।

सीडीसी 5.4.4: हर्कामाया शिक्षा महविद्यालय में बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय ने बी.एड शुरू करने के लिए हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, तादोंग, गंगटोक से महविद्यालय में बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम शुरू करने का एक प्रस्ताव प्राप्त किया। एनसीटीई विनियम 2014 के अनुसार उक्त कार्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए था और स्कूल में इंटर्नशिप और विद्यालय आधारित गतिविधियों में आमने-सामने के शिक्षण को मिलाकर 3 साल की अवधि के दौरान इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाएगा। यह कार्यक्रम केवल एनसीटीई मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शुरू किया जा सकता है जिसमें बी.एड और एम.एड पाठ्यक्रम में कम से कम 5 साल पुराना होने के साथ न्यूनतम 'बी' ग्रेड के साथ नैक मान्यता प्राप्त हो। हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय ने उपरोक्त सभी पात्रता शर्तों को पूरा किया।

विश्वविद्यालय अध्यादेश के ओडी-1 की धारा 10 के तहत एक तीन सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति ने 27 मार्च 2016 को महाविद्यालय का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंप दी।

महविद्यालय विकास परिषद ने रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की;

i) बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम में कुल ग्रहण क्षमता 100 (2 यूनिट) होंगी;
ii) 3 वर्षीय बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम विवरणिका शिघ्रातिशीघ्र तैयार किया जाना है।

iii) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया जून से शुरू होनी है और कक्षाएं जुलाई 2016 से शुरू होनी है;

iv) परीक्षा का आयोजन शैक्षणिक वर्ष के अंत में किया जाएगा।

सीडीसी 5.4.5: हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय में एम.फिल/पीएच.डी पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय को महविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2016-17 से एम.फिल/पीएच.डी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय, तादोंग, गंगटोक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय अध्यादेश के ओडी -1 की धारा 10 के तहत एक तीन सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति ने दिनांक 11 मार्च 2016 को महाविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने यूजीसी के मौजूदा प्रावधान (एम.फिल/पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) के विनियम,2009 की धारा 4 तहत, जिसमें कहा गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि ***"सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के कॉलेज/संस्थान एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए पात्र होंगे"*** के मद्देनजर अनुमति नहीं देने की सिफारिश की। यह पाया गया कि हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान नहीं था और इसलिए एम.फिल शुरू करने की अनुमति दी गई। वर्तमान में हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सीडीसी 5.4.6: सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में 5 विषयों (भौतिकी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास और अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव

विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में भौतिकी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास और अर्थशास्त्र में पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यूजीसी के (विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालय) विनियम, 2009 की धारा 4.6 के तहत कुलपति ने निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने दिनांक 27 नवंबर 2016 को महाविद्यालय का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत की।

अवलोकन से संबंधित रिपोर्ट की प्रति महाविद्यालय के प्राचार्य और निदेशक (उ.शि), मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार को भी उपलब्ध कराई गई थी।

महाविद्यालय विकास परिषद ने समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया और रिपोर्ट में किए गए पर्यवेक्षण को पूरा करने की शर्त पर सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में 5 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अस्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु शैक्षणिक परिषद को सिफ़ारिश की ।

सीडीसी 5.4.7: चाकुंग, पश्चिम सिक्किम में शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से सिक्किम सरकार द्वारा "सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग" के नाम एवं शीर्षक से विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना

विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार से शैक्षणिक सत्र 2016-17 से "सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग" नाम से चाकुंग, पश्चिम सिक्किम में एक नाय विज्ञान माहाविद्यालय शुरू करने के लिए दिनांक 17.05.2016 को पत्र सं. 69/Dir (HE) /HRDD द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ ।

परिषद ने एक निरीक्षण समिति का गठन करने का निर्णय लिया और इसकी रिपोर्ट दिनांक 3 जून 2016 को आयोजित होनेवाली शैक्षणिक परिषद की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

खंड – 5

अध्यक्ष के विचारार्थ विषय

सीडीसी 5.5.1: डंबर सिंह महाविद्यालय में बी.ई1.एड. पाठ्यक्रम

डम्बर सिंह महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन बी.ईआई.एड) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनसीटीई में आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने का अनुरोध किया। चूंकि कॉलेज ने बी.ईएल.एड के लिए पात्रता मानदंड पूरा किया, अत: महविद्यालय को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया। लेकिन डम्बर सिंह महाविद्यालय अब बी.ईएल.एड की बजाय 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए-बीएड प्रोग्राम करने के लिए इच्छुक है। परिषद ने विचार की और वांछित किया कि महविद्यालय को पहले आवेदन करना चाहिए था।

परिषद ने निर्णय लिया कि मामले की विस्तृत रूप से जांच की जाए और अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

सीडीसी 5.5.2: यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कैलेंडर की समीक्षा करें ताकि यह अगले साल के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के लिए समान हो और दोनों के लिए 1 दिसंबर से अंतिम परीक्षा शुरू हो।

यह बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(टी.के.कौल)	**(टी.बी.सुब्बा)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**
महाविद्यालय विकास परिषद	**महाविद्यालय विकास परिषद**